



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

की कालिन्दीपुरम् एवं नैनी आवास योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक भूखण्ड प्राप्त करने का अंतिम

आवेदन/पंजीकरण तिथि :
26.03.2018 से 16.04.2018 तक

स्वर्णिम अवसर

नीलामी का सुघना पृथक से
समाचार पत्र के माध्यम से भी जायेगी

कालिन्दीपुरम् आवास योजना के व्यावसायिक सह आवासीय भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	श्रेणी	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भूखण्ड सं.	कुल भूखण्डों की सं.	न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर (रु.)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु.)	पंजीकरण धनराशि (रु.)
1.	कालिन्दीपुरम् आ.यो. (सेक्टर राधाकुण्ड)	ए	112.50	11, 13 से 16, 19, 24 से 33 तक।	16	46,500/-	52,31,250/-	5,23,125/-
		बी	75	41, 42, 44 से 51, 61, 62, 63 तक	13	45,000/-	33,75,000/-	3,37,500/-
2.	कालिन्दीपुरम् आ.यो. (सेक्टर गोकुल)	सी	86.20	42 से 53 तक	12	46,500/-	40,08,300/-	4,00,830/-
		डी	75.00	02 से 23 एवं 25	23	45,000/-	33,75,000/-	3,37,500/-

नैनी आवास योजना के व्यावसायिक भूखण्डों का विवरण

1.	नैनी आवास योजना व्यावसायिक भूखण्ड	व्यावसायिक	100.43 से 166.71 तक	CD1-CD9	9	56,000/-	56,24,080/- से 93,35,760/- तक	5,62,410/- से 9,33,580/- तक
----	-----------------------------------	------------	---------------------	---------	---	----------	-------------------------------	-----------------------------

नियम एवं शर्तें :-

- भूखण्ड जहाँ है जैसे के आधार पर आवंटन किया जायेगा। 2. निविदा सह नीलामीदाता को पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय) फार्म के साथ संलग्न पंजीकरण आवधिक के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। 3. निविदा आवेदन-पत्र निर्धारित पत्र में स्वहस्ताक्षरित नियम एवं शर्तों के साथ बन्द लिफाफे में भरकर सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में रखे टेण्डर बाक्स में निश्चित तिथियों पर पूर्वाह्न 10.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक डाले जा सकते हैं, जिसको निविदा/नीलामी की निर्धारित तिथि पर नीलामी के उपरान्त खोला जायेगा। 4. भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकृत उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली (दर) के अनुसार कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के तत्काल बाद अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा, जिसमें जमा पंजीकरण धनराशि समायोजित हो जायेगी। 5. बोली में सफल व्यक्ति द्वारा बोली स्वीकृत होने के पश्चात एक सप्ताह में अवशेष धनराशि न जमा करने पर पंजीकरण शुल्क की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 6. अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निमित्त होने की तिथि से दो वर्ष के अंदर 08 तिमाही किस्तों में ब्याज सहित जमा करना होगा। उक्त नियत समयावधि में सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने पर पूर्व से जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। 7. आवंटित भूखण्ड का सम्पूर्ण मूल्य एक मुश्त भी जमा किया जा सकता है तथा भूखण्ड को रजिस्ट्री कराये जाने के उपरान्त ही कब्जा दिया जायेगा। 8. मौके पर भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होने पर तदनुसार ही धनराशि संशोधित की जायेगी। 9. आवंटनी को भूमि मूल्य के अतिरिक्त नियमानुसार 12 प्रतिशत प्रति होल्डर शुल्क एवं अन्य देय शुल्कों का भुगतान करना होगा। विक्रय-विलेख की समस्त व्यय, नगर निगम, जल संस्थान एवं अन्य विभागों के समस्त देयक आवंटनी को वहन करना होगा। 10. आवंटित भूखण्ड का विकास एवं निर्माण प्राधिकरण से नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृति कराकर ही करना होगा। 11. प्राधिकरण/शासन द्वारा समय-समय पर लागू समस्त नियमों का पालन करना होगा। 12. विवाद की स्थिति में मामलों का निराकरण इलाहाबाद जनपद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा। 13. बोली प्रति वर्गमीटर न्यूनतम आरक्षित दर के आधार पर की जायेगी और प्रत्येक बोली का न्यूनतम अन्तर रु 500.00 होगा। 14. नीलामी/निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद में निहित है। 15. अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण पुस्तिका में अंकित हैं। 16. अधिकतम पंजीकरण धनराशि जमा करने की दशा में पंजीकरण शुल्क द्वारा किसी भी भूखण्ड के लिये बोली बोल सकता है परन्तु एक पंजीकरण में एक ही भूखण्ड उच्चतम बोली के आधार पर आवंटित हो सकेगा। 17. आवंटन में शासनदेश के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी, जिस हेतु आवेदक को शासनदेश के अनुसार आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 18. यदि किसी कारण से सम्पत्तियों के उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में आप द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा। 19. 28 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्डों का रु. 46,500.00 एवं 9 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित रु. 45,000.00 प्रति वर्ग मीटर दर से भूमि मूल्य निर्धारित है। 20. पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क का नागद भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस में इन्दिरा भवन के 7^{वें} तल स्थित नगर विकास के जनसम्पर्क कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा एवं पूर्ण पंजीकरण फार्म कार्यालय में ही जमा किया जायेगा। 21. आवेदन-पुस्तिका एवं नियम तथा शर्तें का वेबसाइट www.adaallahabad.in पर भी उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

कुमार अवस्थी) -सचिव पत्रक - 371/ज.स.अ.वि./प्रा./2017-18 दिनांक : 24.03.2017

(भानु चन्द्र गोस्वामी) -उपाध्यक्ष

Handwritten signature and text:
भानु चन्द्र गोस्वामी
25